

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

24.07.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 324 का उत्तर

चेन्नई समुद्र तट से चेन्नई एगमोर के बीच रेल लाइन का निर्माण

324. श्री ससिकांत सेंटिल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) चेन्नई समुद्र तट से चेन्नई एगमोर के बीच चौथी लाइन का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा क्योंकि परियोजना को पूरा करने की अंतिम सीमा 7 महीने की अवधि थी जो 27 अगस्त, 2023 से शुरू हुई थी;
- (ख) क्या सरकार यह गणना करती है कि उपनगरीय समय सारणी में 14/07/2023 से उपनगरीय सेवाओं (54 सेवाएं) में कटौती किए जाने के कारण तिरुवल्लूर, चेंगलपट्टं और वेलाचेरी उपनगरीय खंडों में कितने यात्री प्रभावित हुए हैं; और
- (ग) यात्रियों की सहायता के लिए सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

चेन्नई समुद्र तट से चेन्नई एगमोर के बीच रेल लाइन के निर्माण के संबंध में दिनांक 24.07.2024 को लोक सभा में श्री ससिकांत सेंटिल के अतारांकित प्रश्न सं. 324 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ग): चेन्नई बीच-चेन्नई एगमोर चौथी लाइन (4.3 किमी) को 280 करोड़ रुपए की लागत पर मंजूरी दी गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए परियोजना को 143.6 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय प्रदान किया गया है। मार्च, 2024 तक कुल 167.5 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है। कुल 0.51 हेक्टेयर भूमि में से 0.33 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।

रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वानिकी स्वीकृतियां, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं के स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूविज्ञानी और स्थलाकृतिक परिस्थिति, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना के समापन समय को प्रभावित करते हैं। उपरोक्त बाधाओं के बावजूद, परियोजना (परियोजनाओं) का शीघ्रशीघ्र निष्पादन करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली रेल अवसंरचनात्मक परियोजनाएं भारतीय रेल के दक्षिण रेलवे (दरे), दक्षिण मध्य रेलवे (दमरे) और दक्षिण पश्चिम रेलवे (दपरे) क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं।

2014 से बजट आवंटन और परियोजनाओं की तदनुरूपी कमिशनिंग में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचना और संरक्षा से संबंधित परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन इस वर्ष बढ़ाकर सर्वाधिक 6,362 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो कि 2013-14 के 922 करोड़ रुपए के बजट आवंटन का लगभग सात गुना है।

तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए औसत वार्षिक बजट आवंटन निम्नानुसार है:-

अवधि	औसत परिव्यय	2009-14 के दौरान औसत आवंटन की तुलना में वृद्धि
2009-14	879 करोड़ रु.प्रति वर्ष	-
2023-24	6,080 करोड़ रु.	7 गुना से अधिक

यद्यपि बजट आवंटन कई गुना बढ़ाया गया है लेकिन परियोजना के निष्पादन की गति शीघ्र भूमि अधिग्रहण पर निर्भर करती है। रेलवे द्वारा भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार के माध्यम से किया जाता है। राज्य सरकार मुआवजा राशि का निर्धारण करती है और रेलवे को सूचित करती है। राज्य सरकार से मांग प्राप्त होने पर रेलवे द्वारा संबंधित जिला भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण के पास मुआवजा धनराशि जमा करवाई जाती है। तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः स्थित महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण रुका हुआ है और लगभग कुल 2749 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता में से लगभग केवल 807 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए प्रयास शुरू किए गए थे लेकिन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में सफल नहीं हो सकी थी। भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार की सहायता की आवश्यकता है।

2014-24 के दौरान, तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाले 1302 कि.मी. खंड (39 कि.मी. नई लाइन, 456 कि.मी. आमामान परिवर्तन और 807 कि.मी. दोहरीकरण) को 130.2 कि.मी. प्रति वर्ष की औसत दर से चालू किया गया है।

परियोजना को पूरा करने के लिए चेन्नै एगमोर के बीच चौथी लाइन के 4.3 कि.मी खंड के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण में बिलंब के कारण तिरुवल्लआवर-वेलाचेरी-चेंगलपट्ट खंड पर उपनगरीय सेवाओं की बहाली में बिलंब हो रहा है।
